बिहार मानवाधिकार आयोग के कुछ महत्वपूर्ण पहल

* डाक/फैक्स/e-mail पर प्राप्त परिवाद पत्रों का **निःशुल्क पंजीकरण** और उन पर अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है। महत्त्वपूर्ण मामलों/विषयों पर आयोग में **स्वतः संज्ञान** (Suo Motu) लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। मामलों के **त्वरित संज्ञान** के कारण प्राप्त परिवाद पत्रों की संख्या में **वर्षवार उत्तरोत्तर वृद्धि** हो रही है।

* आयोग का यह प्रयास होगा कि राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ Interaction करके आयोग के कार्यों से उन्हें अवगत कराया जाय और उनका सहयोग प्राप्त किया जाय। इससे कम समय में ही सरकार के सभी पंक्ति के पदाधिकारी/कर्मियों के बीच मानवाधिकार संरक्षण का संदेश पहुँच सकेगा। यह कल्याणकारी राज्य के जनहित कार्यों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार के प्रयास विधायिकी, गैर सरकारी संस्थानों एवम् अन्य Stake Holders के साथ भी प्रस्तावित है।

* राज्य के शिक्षण संस्थानों, विशेष कर Under Graduate and Post Graduate छात्रों एवं शिक्षकों के बीच मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक रूख पैदा करने के लिए एक दिन का Capsule Course आयोजित किया गया। इसकी शुरूआत Patna Law College (P.U.) में की गई जहाँ पटना के पाँच महाविद्यालयों के लगभग 300 छात्र–छात्राओं को दिनांक **18 से 22 सितंबर, 2014** तक प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल के काफी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पूरे राज्य में इसे नियमित तौर पर संचालित किया जायेगा। इस निमित्त **सचिव, मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता** में Principal, Patna Law College (P.U.) और Director, Higher Education, Bihar की कमिटि बनाई गई है।

* किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, निरूद्ध करने अथवा पूछताछ के क्रम में पुलिस द्वारा अनुपालन किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा D.K. Basu मामले में दिये गये न्याय–निर्णय के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु **सचिव एवं पुलिस महानिरीक्षक**, **बिहार मानवाधिकार आयोग** की दो सदस्यीय **उप समिति** गठित की गयी है। समिति आवश्यकतानुसार राज्य के विभिन्न जगहों का भ्रमण कर तथा इससे संबंधित अन्य कार्य सुनिश्चित करेगी।

* मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के तहत बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस से संबंधित कुछ विषयों पर राज्य सरकार को **विशेष रिपोर्ट** सौंपी जा रही है। रिपोर्ट मुख्यतः पुलिस पदाधिकारियों के मानवाधिकारों के प्रति सजगता, अपने दायित्वों का ज्ञान, थाना हाजतों की सफाई/रख–रखाव, थाना परिसरों की सफाई, हाजत बंदियों को भोजन की व्यवस्था इत्यादि से संबंधित है। विशेष रिपोट को सरकार द्वारा विधान मंडल के समक्ष पेश करना होता है।

* आयोग के सदस्यों द्वारा Juvenile Observation Homes, अस्पताल इत्यादि जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है।

* बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा फील्ड में तैनात पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण/ Sensitization का **व्यापक कार्यक्रम जिला स्तर** पर शुरू किया जा रहा है। आयोग में पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलावार वार्षिक Calender आयोग को समर्पित किया गया है तथा कार्यक्रम इसी माह से शुरू कर दिया गया है।

* कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, 2013 के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सरकार के विभिन्न विभाग एवं तंत्र को सक्रिय करने हेतु आयोग ने पहल की है।

* सर पर मैला ढ़ोने की कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग के स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है। NHRC को केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के चार राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर एवं असम में यह प्रथा खत्म नहीं हो पायी है।

* विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों यथा Law Unversities, विश्वविद्यालयों इत्यादि के विधार्थियों का आयोग में Internship कराया जाना। विगत वर्षों में आयोग में **288** विधार्थी Internship किये हैं। **40** विद्यार्थियों का अगला बैच **12 दिसम्बर, 2014** से Internship करेगा।

* CBSE द्वारा देश में चुने गये कुछ विद्यालयों में से DPS, Patna में एक विषय के रूप में ''मानवाधिकार'' की पढ़ाई हो रही है। आयोग में उन छात्रों से interactions हुए हैं तथा दिनांक 21.08.2014 को Unicef के तत्त्वाधान में DPS, Patna में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ने भाग लिया।

* मानवाधिकारों के हनन को रोकने तथा मानवाधिकार संरक्षण हेतु आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य में **sensitization** का कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

* मानवाधिकार संरक्षण कार्यों से जुड़े **गैर सरकारी संस्थानों** (NGO's) एवं Human Rights Defenders को आयोग द्वारा प्रोत्साहित करने की योजना है।

* आयोग के पहल पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में :–

  (क) उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों की **नोडल पदाधिकारी** के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया हैं।

  (ख) जिला स्तर पर एक ADM/ **वरीय दंडाधिकारी** तथा **पुलिस उपाधीक्षक** पंक्ति के पदाधिकारी **नोडल पदाधिकारी** के रूप में प्रतिनियुक्ति हैं।

* राज्य के District Disability Rehabilitation Centres (DDRC's) के पुर्नउत्थान तथा Persons with Disabilities (PWD) के व्यापक कल्याण हेतु आयोग द्वारा आवश्यक पहल की गयी है।

* आबादी का लगभग 8% वृद्ध व्यक्तियों की आबादी है। उनके कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित विषयों पर आयोग के पहल के सकारात्मक परिणाम आये हैं।